

सम्बन्धित विभाग की ओ.पी.डी./आपातकाल में
चिकित्सीय परामर्श के उपरान्त।

आयुष्मान भारत/हिमकेयर योजना के अन्तर्गत दाखिल होने वाले मरीज
काउंटर नम्बर 003 कमरा नम्बर 5/6 में आरोग्य मित्र से सम्पर्क करें।

इस काउंटर से पैकेज फॉर्म लेकर सम्बन्धित बीमारी और पैकेज जो कि
सरकार द्वारा निर्धारित है, को अपने डॉक्टर से भरवाकर हस्ताक्षर व स्टैंप
लगवाकर आरोग्य मित्र से ब्लॉक करवाएं।

अपने निर्धारित वार्ड में जाकर दाखिल हो जाएं।

वार्ड से मिली पर्ची पर डॉक्टर से दवाईयां या सर्जिकल सामान की सूची
लिखवाएं। पर्ची पर डॉक्टर और स्टाफ नर्स के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

यहां से मिली पर्ची को कमरा नम्बर 303 डिस्पैसरी में ले जा कर दवाईयां
प्राप्त करें। यहां पर आपको सारा सामान अस्पताल की तरफ से मुफ्त दिया
जाएगा है।

प्राप्त हए सामान को अपने वार्ड के/की स्टाफ नर्स द्वारा चैक करवाएं।

अस्पताल से छुट्टी होने पर अपने डिस्चार्ज कार्ड के साथ आरोग्य मित्र से
अवश्य संपर्क करें अन्यथा भविष्य में किसी भी अस्पताल में आपको इन
योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। छुट्टी के समय आपको अथवा आपके
मरीज को 15 दिन की दवाई भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

मरीज को सूचित किया जाता है कि किसी भी आयुष्मान
भारत/हिमकेयर के लाभार्थी द्वारा अन्तर्रंग विभाग में ईलाज
हेतु किसी भी दवाई अथवा प्रक्रिया हेतु कोई शुल्क देय
नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लाभार्थी से पैसे की मांग
करता है, तो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें
अथवा टॉल फ़ी नम्बर 18001021142 पर सम्पर्क करें।